Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding functioning of Zilla Panchayats in Dadra and Nagar Haveli.

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, सारे केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था की गम्भीर समस्या है । वहां पर विधान सभा न होने की वजह से वहां पर जिला पंचायत है, जिला परिषद है, नगर परिषद है । भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बना, पंचायती राज कानून बना, तब यह निर्णय हुआ था कि सारे केन्द्र शासित प्रदेशों को जितनी भी उनकी जिला पंचायत हैं, नगर परिषद हैं, उनको सारे अधिकार दिए जाएं । यह फैसला भारत सरकार की तरफ से हुआ था । इस फैसले के तहत 30 विभाग जिला पंचायत और नगर परिषद को यह निर्देश देते हुए दिए गए थे कि उनका फंड, उनकी फंक्शनरी, उनका स्टाफ, उनका कंट्रोल सारा का सारा जिला पंचायत और नगर परिषद को देना चाहिए । लेकिन सर, वहां पर इसका अमलीकरण नहीं हुआ । इसके बाद, भारत सरकार ने और खास कर गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था और लिखित में ये निर्देश दिए थे कि 30 विभागों के अधिकार जिला पंचायत, जिला परिषद और नगर परिषद को तुरन्त दिए जाएं और इस पर अमल किया जाए । सर, आज स्थिति ऐसी है कि ये विभाग के सारे अधिकार जिला पंचायत को न देने की वजह से वहां पर हमारी जितनी भी भारत सरकार की लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं हैं, वे सारी प्रभावित हुईं । …(व्यवधान)

इससे लोगों का नुकसान हुआ है । …(व्यवधान) सारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचती है, इससे लोग परेशान हैं । मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि वर्ष 2001 में गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिया था, जिसमें सारा कंट्रोल और अधिकार जिला परिषद और नगरपालिका परिषद को देना चाहिए, उस निर्देश का तुरंत पालन करे । …(व्यवधान) इस पर भारत सरकार सरकार और गृह मंत्रालय गंभीरता से सोचे । दोबारा यह निर्देश जारी करे ताकि जो निर्देश जारी

हुए, उन पर अमल सही तरीके से हो । जितनी भी लोकप्रिय योजनाएं हैं, वह अच्छी तरह से लागू हों, …(व्यवधान) कर्मचारियों के ऊपर पूरा कंट्रोल जिला परिषद का हो, यह नियम बनाया जाए, यह निर्देश दिया जाए । मैं इसके लिए भारत सरकार से विनती करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बालू जी, आप नियम के अंतर्गत नोटिस दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा ।

…(व्यवधान)